

न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 चंदेरी जिला अशोकनगर(म0प्र0)
{पीठासीन अधिकारी:—साजिद मोहम्मद}

व्यवहारवाद कमांक—38ए/2016
 संस्थित दिनांक—05.08.2015
 Filling no. 235103001782015

1.	उमकार सिंह पुत्र राजाराम आयु 42 साल
2	बैजनाथ सिंह पुत्र राजाराम जाति यादव, आयु 45 साल निवासी— ग्राम चकछपरा, तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
वादीगण
	बनाम
01.	श्रीमान वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, जिला अशोकनगर म0प्र0
02.	रेन्जर, वनरेन्ज चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0
03.	डिप्टी रेन्जर, रेंज चौकी डुंगासरा रेन्ज चन्देरी, जिला अशोकनगर म0प्र0
04.	म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म0प्र0
05.	पटवारी, ग्राम बरखेडा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
प्रतिवादीगण
06.	जगन्नाथ सिंह पुत्र राजाराम जाति यादव आयु लगभग 49 साल पेशा खेती निवासी ग्राम चकछपरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
फार्मल प्रतिवादी

-----::// निर्णय //::-----

{आज दिनांक:— 03.07.2017 को घोषित किया गया}

01— यह दावा वादीगण की ओर से ग्राम बरखेडा तहसील चंदेरी में

स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71/6 मिन 1 रकवा 0.955 है0 भूमि वादी उमकार सिंह एवं भूमि सर्वे क्र0 71/4/1 रकवा 1.254 है0 भूमि में से 1/2 भाग (जिसे आगामी पदों में सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) वैजनाथ सिंह के स्वामित्व व आधिपत्य की घोषित कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 वन विभाग की ओर से प्रतिवादा प्रस्तुत करते हुए उक्त विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के बीट नानोन के अन्तर्गत कक्ष क्र0 पीएफ 180 के अन्तर्गत वन भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71/6 मिन 1 रकवा 0.955 है0 भूमि वादी उमकार सिंह एवं भूमि सर्वे क्र0 71/4/1 रकवा 1.254 है0 भूमि वादी वैजनाथ सिंह एवं प्रतिवादी क्र0 6 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त विवादग्रस्त भूमि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से चिह्नित किया गया है, जिन्हे आगामी पदों में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त विवादग्रस्त भूमियों पर वाद संलग्न नक्शे अनुसार वादीगण के पिता 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज रहे हैं और आज भी काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त विवादग्रस्त भूमि से वादीगण अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं। विवादग्रस्त भूमि काबिल कास्त भूमि है जिसके तीनो ओर अन्य कास्तकारों की काबिल कास्त भूमि लगी हुई है।

03— प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है एवं प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों को 50 वर्ष से कभी भी वादीगण के पिता एवं वादीगण को विवादग्रस्त भूमि पर खेती करने से नहीं रोका है तथा दिनांक 30.06.2015 से वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि वन भूमि बता रहे हैं और वादी के स्वत्वों से इंकार कर रहे हैं। प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 वादीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस बल लेकर विवादग्रस्त भूमि पर आ जाते हैं और वादीगण को शांति पूर्वक कास्त नहीं करने दे रहे हैं। प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 धमकी दे रहे हैं कि वादीगण ने अगर खेत जोता या आगामी फसल बोई तो ट्रेक्टर जप्त कर लेगे व उनके परिवार का बंद करा देगे। विवादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि है तथा प्रतिवादी क्र0 6 को प्रकरण में फार्मल पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम ग्राम बरखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक

71/6 मिन 1 रकवा 0.955 है0 भूमि वादी उमकार सिंह एवं भूमि सर्वे क्र0 71/4/1 रकवा 1.254 है0 भूमि पर वादी द्वारा स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

04— प्रकरण में प्रतिवादी क्र0 4 एवं 5 उपस्थित हुए परन्तु प्रतिवादी क्र0 4 एवं 5 की ओर से पृथक से जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 वन विभाग की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि वन विभाग में सर्वे क्रमांको का प्रचलन नहीं है, अपितु कक्ष क्रमांक प्रभावशील है। ग्राम बरखेडा जोकि बीट नानोन के कक्ष क्र0 पीएफ 180 के अन्तर्गत वन भूमि है, जिसे वन विभाग के टोपो शीट के नक्शा एवं सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में वन भूमि को गुलाबी रंग से अंकित किया गया है जोकि प्रतिवाद पत्र का अंश है। उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण के पास कहा से आई तथा वे उक्त भूमि पर 50 वर्षों से किसके आदेश से काबिज है ऐसा कोई प्रमाण प्रकरण में संलग्न नहीं है तथा उक्त भूमि मौके पर पडत पडी हुई है जिसमें बानकीय कार्य प्रस्तावित है। विवादग्रस्त भूमि से वादीगण को कोई संबंध नहीं है और वादीगण वन भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण को समझाया कि विवादग्रस्त भूमि वन भूमि है जिसको वादीगण मानने को तैयार नहीं है और मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है जिसे सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05— प्रतिवादी क्र0 1 लगायत 3 की ओर से प्रतिदावा प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि वन विभाग के बीट नानोन के अन्तर्गत ग्राम बरखेडा आता है जिसके कक्ष क्र0 पीएफ 180 में स्थित भूमि वन विभाग के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा वन विभाग की टोपो शीट, अक्श एवं वन विभाग के सर्वे ऑफ इंडिया के अक्श में गुलाबी रंग से वन भूमि को दर्शाया गया है जिसपर वन विभाग का वर्किंग प्लानिंग का कार्य किया जाना शासन के आदेशानुसा प्रस्तावित है। प्रतिदावा का वाद कारण दिनांक 16.09.2015 को वन भूमि की जी.एस.रीडिंग लेने से कक्ष क्र0 180 में उत्पन्न हुआ। वादीगण के पास उक्त वन भूमि कहा से आई और राजस्व परिपत्रों में किस प्रकार अंकित कराई गई तथा वादीगण ने आज दिनांक तक उक्त भूमि का संयुक्त सीमांकन नहीं किया गया है। अतः बीट नानोन के अन्तर्गत ग्राम बरखेडा के कक्ष क्र0 पीएफ 180 में स्थित भूमि वन विभाग के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा वन विभाग की टोपो शीट, अक्श एवं वन विभाग के सर्वे ऑफ इंडिया के अक्श में गुलाबी रंग से दर्शित भूमि को वन भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

06— वादी की ओर से प्रतिदावा का जबाब प्रस्तुत करते हुए समस्त प्रतिकूल अभिवचनो से इंकार किया गया है और व्यक्त किया कि वन विभाग वादी के स्वत्व स्वामित्व की भूमि को जबरन वन भूमि बता रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा जी.पी.एस रीडिंग लेने से वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि वन विभाग की भूमि नहीं हो जाती है तथा वादीगण ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उनमें खसरा खतौनी में सर्वे नम्बरों का भी इन्द्राज है। अतः वन विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा सव्यय निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की है।

07— प्रकरण में प्रतिवादी क. 4 म.प्र.शासन को समंस की तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा प्रतिवादी क० 5 की ओर से पृथक से प्रकरण में जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या ग्राम बरखेडा तहसील चन्देरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71/6मिन-1 रकबा 0.955 हेक्टेयर वादी उमकार सिंह सर्वे क्रमांक 71/4/1 रकबा 1.254 हेक्टेयर में से 1/2 भाग वादी बैजनाथ सिंह के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित
5.	क्या बीट नागौन अन्तर्गत ग्राम बरखेडा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.180 में स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्श एवं सर्वे ऑफ इंडिया के अक्श में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, वन भूमि होकर वन विभाग के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	प्रमाणित
6.	क्या उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वन भूमि है ?	प्रमाणित

7.	यदि हाँ. तो क्या वादीगण द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है ?	प्रमाणित
8.	क्या प्रतिवादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित
9.	क्या प्रतिदावा अवधि में है। ?	प्रमाणित
10.	सहायता एवं व्यय ?	पैरा 21 के अनुसार

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क्र० 1, 2 व 3 :-

09— वाद प्रश्न क्र० 1, 2 व 3 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादी उमकार सिंह वा०सा०3 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया कि ग्राम वरखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 71/06 मिन 1 रकबा 0.955 है० भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा सर्वे क्र० 71/4/1 रकबा 1.254 है० भूमि वैजनाथ एवं जगन्नाथ सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि काबिल कास्त होकर उसपर 50 वर्ष से अधिक समय से खेती करते आ रहे हैं और उक्त भूमियों पर उमकार एवं वैजनाथ एवं जगन्नाथ अपनी-अपनी भूमियों पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि होकर राजस्व सीमा में है और राजस्व रिकार्ड में उनके नाम पर अंकित है तथा उक्त भूमि से वन विभाग का कोई लेना देना नहीं है और न ही उक्त भूमि पर कभी वन विभाग का कब्जा रहा है। वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में खसरा वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1, खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्ष 2014-15 प्र.पी.2, खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.3, सूचना पत्र प्र.पी.4, नोटिस की रसीद क्रमशः प्र.पी. 5 लगायत 8 पेश की है। जबकि प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 3 वन विभाग की ओर से विवादग्रस्त भूमि का वन भूमि होना बताया है।

10— वादी उमकार सिंह द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि उनके बाप दादाओं से उन्हें प्राप्त हुई थी तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी यह बताने में असमर्थ रहा कि विवादग्रस्त भूमि उनके पूर्वजों को पट्टे से प्राप्त हुई थी या क़य की गई थी और उनका

सर्वे नम्बर क्या है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में यह भी व्यक्त किया कि उसके द्वारा विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया है। स्वतः कहा कि भैया ने सीमांकन कराया है, किन्तु उक्त सीमांकन संबंधी दस्तावेज साक्षी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी चन्दन सिंह वा0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि विवादग्रस्त भूमि वरखेडा मोजा में है और उक्त जमीन से लगकर उसकी जमीन है, किन्तु उक्त साक्षी उसकी जमीन का सर्वे नम्बर क्या है यह बताने में असमर्थ रहा और वादी उमकार सिंह उसके काका का लडका है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने भी वन विभाग के उपर मामला दर्ज किया है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा में बताया कि वह नहीं बता सकता कि उमकार के पास उक्त विवादग्रस्त भूमि कहा से आई। प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में साक्षी चंदन सिंह ने इस बात को सही बताया है कि वन विभाग वाले झगडे वाली जमीन को उनकी बताते हैं और वादीगण उनकी जमीन बताते हैं।

11— कोमल वा0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि विवादग्रस्त भूमि पर उमकार सिंह वैजनाथ सिंह और जगन्नाथ सिंह अपने अपने भाग पर काबिज होकर कास्त कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर वन विभाग का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि वादी उमकार, वैजनाथ, जगन्नाथ के पास उक्त विवादग्रस्त जमीन बंजारे से क़य की गई थी और रामा बंजारे को उक्त विवादग्रस्त जमीन पट्टे पर प्राप्त हुई थी। इस प्रकार एक ओर जहां स्वयं वादी उमकार सिंह विवादग्रस्त भूमि को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना बतला रहा है और उक्त भूमि को 40 वर्षों से देखता और खेती करता चला आ रहा है, किन्तु उक्त विवादग्रस्त भूमि वादी के पास या वादी के पूर्वजों के पास कहा से आई इस संबंध में वादी की ओर से कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

12— प्रतिवादी वन विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये काउन्टर क्लेम में विवादित भूमि को वन भूमि बताया है तथा वादीगण द्वारा राजस्व परिपत्रों में उक्त विवादग्रस्त भूमि को किस प्रकार अंकित कराया गया है इस संबंध में भी कोई प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी वन विभाग की ओर से प्रकरण में हनीफ उल्ला प्र0सा01, डिप्टी रैंजर के कथन न्यायालय में कराये हैं जिसके अनुसार विवादग्रस्त भूमि बीट नानोन के अन्तर्गत ग्राम वरखेडा में स्थित कक्ष क्रमांक 180 के अन्तर्गत वन भूमि है।

13— प्रकरण में सर्वप्रथम तो यह विवादित है कि वादग्रस्त भूमि जिसे वादी उसके स्वामित्व की होना एवं प्रतिवादी वन विभाग उसके स्वामित्व की होना बता रहा है, उक्त भूमि राजस्व की भूमि है अथवा वन विभाग की भूमि है ? प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण व उल्लेखनिय है कि वादीगण के पास उक्त विवादग्रस्त भूमि उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त होना व्यक्त किया है और पूर्वजों को उक्त भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई थी और वे किस प्रकार से उक्त विवादग्रस्त भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी थे। इस संबंध में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी कोमल वा0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण के पास रामा बंजारे से क़य किया जाना व्यक्त किया है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि रामा बंजारे को उक्त विवादग्रस्त भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाए तो उक्त विवादग्रस्त भूमि रामा बंजारे से वादीगण द्वारा क़य की गई थी तो वादी की ओर से विक्रय अभिलेख भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है और यदि उक्त भूमि पूर्व में रामा बंजारे को पट्टे पर प्राप्त हुई थी तो भी पट्टे पर प्राप्त भूमि को विक्रय करने का अधिकार पट्टेदार को बिना शासन की अनुमति के प्राप्त नहीं है।

14— वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में खसरा वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1, खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्ष 2014-15 प्र.पी.2, खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.3 प्रस्तुत की है। **मूलशंकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर 1994 एससी पेज 1496** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्व संबंधी दस्तावेजों को स्वत्व संबंधी प्रलेख नहीं माना है। **विष्णुशरण व अन्य बनाम अयोध्या बाई 2003 म0प्र0 लॉ जनरल पेज 25** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि वादी को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना हक साबित करना होगा। खसरा प्रविष्टियों से केवल उसकी यर्थाता का उपधारणात्मक मूल है तथा खसरा प्रविष्टियों के आधार पर हक उपधारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। भले ही प्रतिवादीगण अपनी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने में सफल न रहे, किन्तु सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिवादी की किसी दुर्बलता के आधार पर वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं अपने बल पर दावा प्रमाणित होता है।

15— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि ग्राम बरखेडा तहसील चन्देरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71/6मिन-1 रकबा 0.955 हेक्टेयर वादी उमकार सिंह एवं सर्वे क्रमांक 71/4/1 रकबा 1.254 हेक्टेयर में से 1/2 भाग वादी बैजनाथ सिंह के स्वामित्व की है, तथा

वादीगण की ओर से विवादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में वर्ष 2014-15 की खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1 लगायत 3 प्रस्तुत की है जिनमें कब्जेदार के रूप में वादीगण के नाम का उल्लेख है, किन्तु वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वे जिस स्थान पर काबिज हैं वह राजस्व विभाग की भूमि है। फलतः वाद प्रश्न क्र० 1 का निराकरण **प्रामाणित नहीं** के रूप में किया जाता है। जहां कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं है वहां यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी वन विभाग द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रमाणित न होने से वादीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अतः वाद प्रश्न क्र० 2 व 3 का निराकरण भी **प्रामाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 4 :-

16— प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे में यह अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया गया है, परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी द्वारा वर्तमान वाद में मूल्यतः स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वाद का मूल्यांकन लगान के 20 गुने के आधार पर 5000/- रुपये कायम किया जाकर स्वतत्त्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एकत्र न्यायालय शुल्क 600/- किया गया है। वादी द्वारा मूलतः उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है जो उचित है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण **प्रामाणित** के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 5, 6 व 7 :-

17— वाद प्रश्न क्र० 5, 6 व 7 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादप्रश्न क्र० 1 की विवेचना के आधार पर विवादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना प्रमाणित नहीं है, वहीं प्रतिवादी वन विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे में विवादित भूमि को वन भूमि होना व्यक्त किया है जिसके संबंध में डिप्टी रैंजर हनीफ उल्ला प्र०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनों में विवादग्रस्त भूमि को वन भूमि होना एवं

प्रतिवाद पत्र एवं काउंटर क्लेम के समर्थन में विवादग्रस्त भूमि की जीपीएस रीडिंग का पंचनामा प्र.डी.1 प्रस्तुत किया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा ग्राम वरखेडा के बीट नानोन के कक्ष क्रमांक 180 वन भूमि से संबंधी वन विभाग की मूल टोपो शीट प्रकरण में प्रस्तुत की गई जिसकी मूल से मिलान की गई प्रतिलिपि प्र.डी.2सी है। उक्त नक्शे के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 83 के तहत उसके सही होने की न्यायिक अवेक्षा करेगा। प्र.डी.2सी में विवादग्रस्त भूमि को जी.पी.एस. रीडिंग के आधार पर कक्ष क्र० 180 में दर्शाया गया है। उक्त जी.पी.एस. रीडिंग एवं टोपो शीट की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी. 2सी एवं सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी. 3 में भी विवादग्रस्त भूमि वन भूमि में होना दर्शाया गया है जिसके खण्डन में वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वही विवादित भूमि राजस्व भूमि है, इसको साबित करने के लिये खसरो के अलावा अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

18— इस प्रकार जहां विवादित भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है वही वन विभाग की ओर से ली गई जीपीएस रीडिंग, टोपो शीट प्र.डी.2सी एवं सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.3 के अनुसार भी विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क्र० 180 के अन्तर्गत वन भूमि होना दर्शाया है। प्रतिवादी वन विभाग की ओर से विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे दर्शित हो की विवादग्रस्त भूमि वन विभाग की नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि को वन विभाग की भूमि न होने के संबंध में कोई चुनौती न दिये जाने के कारण विवादित भूमि वन विभाग के बीट नानोन के अन्तर्गत ग्राम वरखेडा के कक्ष क्र० 180 के अन्तर्गत वन भूमि होना प्रमाणित है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 का निराकरण **प्रमाणित** के रूप में किया जाता है। उपरोक्तानुसार किये गये विष्लेशण के आधार पर जहां कि यह प्रमाणित है कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के कक्ष क्र० 180 के अन्तर्गत आती है तथा साक्षी हनीफ उल्ला प्र०सा०१ के कथनानुसार एवं पंचनामा प्र.डी.1 के आधार पर वादीगण जिस भूमि पर काबिज है वह वन भूमि है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि जोकि वन भूमि है पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः वाद प्रश्न क्र० 7 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र० 8 :-

19— प्रतिवादी वन विभाग उपरोक्तानुसार किये गये साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के

कक्ष क्र० पीएफ 180 के अन्तर्गत आती है तथा वादीगण द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाता है कि वे स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से उक्त विवादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप न करें।

वाद प्रश्न क्र० 9 :-

20— वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा अवधि बाह्य है क्योंकि वादीगण प्रतिवादीगण की जानकारी में 50 वर्ष से लगातार विवादग्रस्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे में वाद कारण दिनांक 16.09.2015 को वन भूमि की जीपीएस रीडिंग लेने से कक्ष क्र० 180 में उत्पन्न होना व्यक्त किया है। वाद कारण दिनांक 16.09.2015 को उत्पन्न होने से प्रतिदावा अवधि बाह्य होना प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि स्वत्व व गोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा परिसीमा अधिनियम के सूची क्र० 58 के अनुसार वाद कारण दिनांक से 03 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है और प्रतिवादी द्वारा उक्त समयावधि में ही अर्थात् दिनांक 23.09.2015 को ही प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था जिससे उक्त प्रतिदावा समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 9 का निराकरण “प्रमाणित” के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क्र० 10:-

सहायता एवं व्यय

21— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने के असफल रहे हैं। किन्तु प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 3 वन विभाग यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग के बीट नागौन अन्तर्गत ग्राम बरखेडा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.180 में स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्श एवं सर्वे ऑफ इंडिया के अक्श में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, वन भूमि होकर वन विभाग के स्वत्व एवं आधिपत्य की है। फलतः प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

I यह घोषित किया जाता है कि बीट नागौन अन्तर्गत ग्राम बरखेडा के

कक्ष क्रमांक पी.एफ.180 में स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्श एवं सर्वे ऑफ इंडिया के अक्श में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, वन भूमि होकर वन विभाग के स्वत्व एवं आधिपत्य की है।

22— प्रकरण की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

23— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
दिनांकित घोषित कर किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

19— प्रतिवादीगण क्र० 1 लगायत 6 की ओर से उनके जबाब दावे में एवं लेखी बहस में बताया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है क्योंकि वादी द्वारा उसके दावे में वादग्रस्त भूमि पर सीमांकन के उपरांत 25.07.2014 का मिथ्या वाद कारण लेख किया है और वास्तविक कारणों को छुपाया है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है। किन्तु वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावे के पैरा 5 में वाद कारण दिनांक 23.06.2014 को होना व्यक्त किया है तर्क के दौरान भी वादी ने स्पष्ट किया है कि वाद कारण दिनांक 23.06.2014 को उत्पन्न होने से वाद अवधि बाह्य होना प्रकट नहीं है क्योंकि घोषणा हेतु वाद परिसीमा अधिनियम के सूची क्रमांक 58 के अनुसार वाद कारण दिनांक से 03 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है और वादी द्वारा उक्त समयावधि में ही अर्थात् दिनांक 26.07.14 को ही वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था जिससे उक्त वाद समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण “प्रमाणित नहीं”** के रूप में किया जाता है।
